

खंड - I : पुरस्कार विवरण

1. राष्ट्रीय पुरस्कार उन गैर-सरकारी संगठनों या वैयक्तिक मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं को दिया जाएगा, जिन्होंने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (पी.सी.आर.एक्ट) और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (पी.ओ.ए.एक्ट) के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन और अत्याचार अपराधों का मुकाबला करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है।
2. प्रत्येक वर्ष चार पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। किसी वैयक्तिक कार्यकर्त्ता को दिए जाने वाले पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि और किसी संस्थान को दिए जाने वाले पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि होगी। पुरस्कार देश के चार क्षेत्रों अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम प्रत्येक में इन क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाले उत्कृष्ट गैर-सरकारी संगठनों या मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं को प्रदान किए जाएंगे।
3. पुरस्कार को संयुक्त रूप से प्रदान किया जा सकता है या एक प्राप्तकर्ता या संगठन से अधिक भी इसमें भागी हो सकते हैं, यदि जूरी किसी निश्चित वर्ष में इन्हें मान्यता हेतु समान रूप से सुपात्र समझती हो।
4. पुरस्कार सामान्यतः मरणोपरांत नहीं दिए जाएंगे। तथापि यदि किसी की जूरी को प्रस्ताव भेजने के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पुरस्कार इस संहिता में उल्लिखित तरीके द्वारा मरणोपरांत प्रदान किया जाए।
5. इस उद्देश्य के लिए गठित स्क्रीनिंग समिति और अन्ततः चयन समिति निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा पुरस्कार के लिए नामित/संस्तुत गैर-सरकारी संगठनों और वैयक्तिक मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं की उपलब्धियों पर विचार करेगी। अस्पृश्यता उन्मूलन और अत्याचार अपराधों का मुकाबला करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट क्षेत्रीय कार्य, पुरस्कार प्राप्तकर्ता के अभिज्ञात करने में मुख्यतः विचारणीय होगा।